उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/2073 / जबलपुर, दिनांक 12 /04/2018

श्री अरूण कुमार सोनी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर को बार एसासिएशन इंदौर के कर्मचारियों से उनके कार्यालय तथा कक्ष में जाकर शराब पीकर अभद्र व्यवहार करने तथा उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश का कर्मचारी होने की धौंस देने की अनुशासनहीनता करने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1976 तथा उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्ते (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील तथा आचरण) नियम 1996 के नियम 20(ए) सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 भाग–चार के नियम 9 (1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से उनके विरूद्ध विभागीय जांच पूर्ण होने तक निलंबित किया जाता है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर रहेगा एवं नियमानुसार निर्वाह भत्ते देय होंगे।

11.4.18

(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/2074 / जबलपुर, दिनांक 12 /04/2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर की ओर यह सूचित करते हुए कि श्री अरूण कुमार सोनी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य के विरूद्ध नियमित विभागीय जॉच की कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है । अतः विभागीय जॉच की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु आरोपपत्र, अभिकथन का विवरण दस्तावेजों एवं गवाहों की सूची तैयार कर यथाशीघ्र इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें ।
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/ (आई.एल.) उच्च न्यायालय म.प्र,जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर/इंदौर
5. असिस्टेंट रजिस्ट्रार .... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
6. अनुभाग अधिकारी स्था. उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक/सतर्कता/(आई.एल.आर. एवं परीक्षा) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. श्री अरूण कुमार सोनी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

11.4.18
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)